RAJAJI
TIGER RESERVE

कार्यालय निदेशक / वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून(उत्तराखण्ड)।

5/1, अंसारी मार्ग, देहरादून, 248001
फोन/फैक्स : 0135–2621669 ई–मेल : director.rajaji@gmail.com

G2G

पत्रांक 2128 /12-1 देहरादून, दिनांक 02-01-2024

सेवा में,

Processing Authority/
प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

विषयः— **जनपद–देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरीडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्ड़ गांव–3 के परिवारों को विस्थापित कर लाल पानी कक्ष सं0–2 में बसाने हेतु 2.40है0(1.885है0 विस्थापन हेतु एवं 0.515 है0 अन्य सुविधाओं हेतु प्रत्यावर्तन) वन भूमि का राजाजी राष्ट्रीय पार्क को प्रत्यावर्तन। (आनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/RIHAB/40824/2019)**

सन्दर्भ :— आपका पत्रांक–4926/12–1 दिनांक 01 जून, 2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित के पत्रों एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–08बी/ यू0सी0पी0 /09/193/2019/एफ0सी0/81, दिनांक 20–04–2021 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो /प्रतिबन्धों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित हैः—

B: प्रत्यावर्तन हेतु 0.515 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में :—

शर्त स0	भारत सरकार द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु अधिरोपित शर्त	आख्या/रिपोर्ट
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2.	**प्रतिपूरक वनीकरण–** **(क)** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1030 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate flor 1.03 ha area(वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) की जायेगी। जहाँ तक व्यवहारित हो, सीनीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाय।	**(क)** प्रयोक्ता अभिकरण /राजाजी टाइगर रिजर्व द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1030 पौधों का रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु प्रतिपूरक वनीकरण की निर्धारित दर (0.515 X 2 है0)= 1.03 है0 @ 4,07,992.00 प्रति है0=4,20,231.76 या रू0 4,20,232.00 (चार लाख बीस हजार दो सौ बतीस रूपये) मात्र की आवश्यक धनराशि चालान के माध्यम से कैम्पा कोष, नई दिल्ली के खाते में जमा की जा चुकी है। **(प्रति संलग्न)**
	(ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजीटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।	उक्त शर्त का अनुपालन Processing Authority/ प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून द्वारा किया जाना है।
3.	**शुद्ध वर्तमान मूल्य –** **(क)** इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या /202/1995 में IA नम्बर–556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एंव 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी.दिनांक 03.10.2006 एंव 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के 0.515 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) वसूल करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु 0.515 है0 वन क्षेत्र के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की आवश्यक कुल देय धनराशि–0.515X11,16,900.00=5,75,204.00 (पॉच लाख पिचहत्तर हजार दो सौ चार रूपये) मात्र की आवश्यक धनराशि चालान के माध्यम से कैम्पा कोष, नई दिल्ली के खाते में जमा की जा चुकी है। **(उक्तानुसार)**

	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप से देने के बाद देय, हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।	इस आशय का प्रमाण–पत्र /शपथ–पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न है।**(प्रति संलग्न)**
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 72 Tree से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5.	परियोजना के तहत् प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल(https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित /जमा किया जायेगा।	परियोजना के तहत् प्राप्त धन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित /जमा की गयी है। **(प्रति संलग्न)**
6.	गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई गतिविध नहीं की जायेगी।	गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिऐ पारित किये गये आदेश एवं उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7.	एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
8.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आऊट प्लान नहीं बदला जायेगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आऊट प्लान नहीं बदला जायेगा।
10.	वन भूमि एंव आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि एंव आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेंषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।
13.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिऐ वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिऐ वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
14.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
15.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति हो हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति हो हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

16.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंधन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंधन होगा एंव पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	किसी भी शर्त का उल्लंधन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंधन पाये जाने पर पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17.	पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते का अनुपालन किया जायेगा।
18.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एंव पुर्नजीवित करने का कर्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एंव सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
19.	यदि अन्य कोई सम्बधित अधिनियम /अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित अनुमति प्राप्त करने हेतु अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
20.	अनुपालना रिर्पोट (https:// parivesh. Nic. in) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परिपूर्ण अनुपालना रिर्पोट (https:// parivesh. Nic. in) पर अपलोड की गयी है।

अवगत कराना है कि उक्त विषयगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 05 शर्तो /प्रतिबन्धों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय की पत्र संख्या–1966/12–1, दिनांक 22.12.2023 के द्वारा पूर्व में प्रेषित की गयी है। विषयक प्रकरण में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो /प्रतिबन्धों की विस्तृत अनुपालन आख्या ऑनलाईन /आफलाईन अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

कृपया विषयगत प्रकरण पर अपने स्तर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 साकेत बडोला)
निदेशक/ वन संरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व,देहरादून,
(उत्तराखण्ड)।

पत्रांक 2128/12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्न को उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
3. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 साकेत बडोला)
निदेशक/ वन संरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व,देहरादून,
(उत्तराखण्ड)।

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ Help

o.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
	FP/UK/REHAB/40824/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/REHAB/40824/2019) REHABILITATION OF REMAINING FAMILIES OF KHANDGAON RAJAJI CORRIDOR.	REHAB408242019769	6040824769	20 Apr 2021	**CA:** 420232/- **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 575204/- **Other Charges :** 0/- **Other Charges10 :** 0/- **Other Charges20 :** 0/- **Other Charges30 :** 0/- **Total :** 995436/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 06 Dec 2023 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 07 Dec 2023 **Transaction Date** : 18 Dec 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/301120231206202859_FPUKREHAB408242019_User_Fund_Demanded_306V2 Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=REHAB408242019769)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

Funds to be deposited in Govt. Exchequer

▽ **Help**

Click on **Generate Challan** to generate challan.

- **Paid** : This icon shows that the payment has been deposited.
- **To be Paid** : This icon shows that the payment of this yet to be made.
- **Challan Generated** : This icon shows that the challan has been generated.

◉ **Proposals received on or after 15th July 2014** ○ **All Proposals received upto 14th July 2014**

10.	Proposal No.	Application No	Application No (New)	Proposal Name	Category	Area (ha.)	User Agency Name	Date of IN-PRINCIPLE	Demand Verified Date	Action	Fill Payment Details	Status
	FP/UK/REHAB/40824/2019	REHAB408242019769	6040824769	REHABILITATION OF REMAINING FAMILIES OF KHANDGAON RAJAJI CORRIDOR.	Rehabilitation	2.4	RAJAJI TIGER RESERVE	20-4-2021	06-12-2023	Paid	Paid	Paic

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-12-2023

Agency Name.	RAJAJI TIGER RESERVE
Application No.	6040824769
MoEF/SG File No.	8B/UCP/09/193/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	DIRECTOR, RAJAJI TIGER RESERVE, DEHRADUNDehradun
Amount(in Rs)	995436/-

Amount in Words :Nine Lakh Ninety-Five Thousand Four Hundred and Thirty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896040824769 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-12-2023

Agency Name.	RAJAJI TIGER RESERVE
Application No.	6040824769
MoEF/SG File No.	8B/UCP/09/193/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	DIRECTOR, RAJAJI TIGER RESERVE, DEHRADUN Dehradun
Amount(in Rs)	995436/-

Amount in Words :Nine Lakh Ninety-Five Thousand Four Hundred and Thirty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896040824769 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through chal[...]n, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of [...]ur challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@[...]ionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

DIRECTOR
RAJAJI TIGER RESERVE
Uttarakhand, Dehradun

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया * UNION BANK OF INDIA

18/12/2023

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया * UNION BANK OF INDIA
Main Branch Dehradun

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय पार्क, के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की पुनर्स्थापना हेतु खाण्ड गांव–3 के परिवारों को विस्थापित कर लाल पानी क0सं0–2 में भूमि आवंटन के सम्बन्ध में 2.4 है0वन भूमि के हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में नियमानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी जमा करा दी जायेगी।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून

वन्य जीव प्रतिपालक
राजाजी टाइगर रिजर्व,
देहरादून।

उपनिदेशक
राजाजी टाइगर रिजर्व
देहरादून, उत्तराखण्ड

Funds to be deposited in Govt. Exchequer

▽ **Help**

Click on **Generate Challan** to generate challan.

- **Paid** : This icon shows that the payment has been deposited.
- **To be Paid** : This icon shows that the payment of this yet to be made.
- **Challan Generated** : This icon shows that the challan has been generated.

◉ **Proposals received on or after 15th July 2014** ○ **All Proposals received upto 14th July 2014**

no.	Proposal No.	Application No	Application No (New)	Proposal Name	Category	Area (ha.)	User Agency Name	Date of IN-PRINCIPLE	Demand Verified Date	Action	Fill Payment Details	Status
	FP/UK/REHAB/40824/2019	REHAB408242019769	6040824769	REHABILITATION OF REMAINING FAMILIES OF KHANDGAON RAJAJI CORRIDOR.	Rehabilitation	2.4	RAJAJI TIGER RESERVE	20-4-2021	06-12-2023	Paid	Paid	Paic